

पृष्ठ 6

प्ररूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनियम देखिए)

सेवानिवृत्ति के आदेश का प्ररूप

राजस्थान सरकार

..... विभाग

सं. ....

तारीख :

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जो (पद नाम) .

..... के रूप में (सेवा) .....में कार्यरत है, को अधिवर्धिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

हस्ताक्षर

नियुक्ति प्राधिकारी

का पद नाम

तारीख .....

सं. ....

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :

1. निदेशक, पेशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारी/पदधारी।
3. संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक फाईल।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.